प्रेस विज्ञप्ति
03.06.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), मुख्यालय कार्यालय ने वेदपाल सिंह तंवर को हरियाणा के दादम क्षेत्र में अवैध खनन के संबंध में 30/05/2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है।

ईडी ने क्षेत्रीय अधिकारी, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भिवानी द्वारा माननीय विशेष पर्यावरण न्यायालय, कुरुक्षेत्र के समक्ष मैसर्स गोवर्धन माइंस एंड मिनरल्स फर्म के खिलाफ पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के तहत पर्यावरण मंजूरी की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए दायर अभियोजन शिकायत के आधार पर जांच शुरू की और बाद में हरियाणा पुलिस द्वारा आईपीसी 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।

ईडी की जांच से पता चला कि फर्म हरियाणा के दादम इलाके में बड़े पैमाने पर अवैध और अवैज्ञानिक खनन में शामिल है। इससे पर्यावरण को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ और सरकारी खजाने को भारी नुकसान हुआ। उल्लेखनीय है कि क्षेत्र में बड़े पैमाने पर अवैध खनन के कारण हुए भूस्खलन के परिणामस्वरूप 5 व्यक्तियों की मौत हो गई।

इससे पहले, 03/08/2023 को मामले में तलाशी और जब्ती की गई थी, जिसमें बड़े पैमाने पर बेहिसाब नकद दस्तावेज, 3.7 करोड़ रुपये के आभूषण, 26.45 लाख रुपये की नकदी और 1 करोड़ रुपये की मर्सिडीज कार जब्त की गई थी। तलाशी के दौरान, यह पाया गया कि वेदपाल सिंह तंवर प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्ति हैं, जिसने न केवल अवैध रूप से खनन अधिकार अर्जित किए, बल्कि अनुमेय सीमा से अधिक अवैध और अवैज्ञानिक खनन भी किया। ईडी की जांच में पता चला कि वेदपाल सिंह तंवर ने उक्त अवैध खनन से लगभग 37 करोड़ रुपये का लाभ कमाया। उसने इन लाभों को, जो अपराध की आय (पीओसी) हैं, चल और अचल संपत्तियों में निवेश किया। वेदपाल सिंह तंवर ने तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर ईडी द्वारा की जा रही जांच को गुमराह किया। मनी ट्रेल और अवैध खनन गतिविधियों में शामिल अन्य व्यक्तियों को पता करने के लिए, वेदपाल सिंह तंवर को गिरफ्तार किया गया और माननीय जिला न्यायालय, साकेत, दिल्ली के समक्ष पेश किया गया, जिन्होंने 06/06/2024 तक ईडी को 7 दिन की हिरासत दी।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।